

लेखे एक नज़र में

2013-14

विषय सूची

भूमिका	3
विहंगावलोकन	4
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	9
वित्तीय विवरण	14
प्राप्तियां	17
व्यय	21
ऋण और अन्य देयताएं	25
विनियोग लेखे	30
परिशिष्ट	35
1. दस वर्षीय सारांश	37
2. करेतर राजस्वों का विवरण	39
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	40
4. योजनेतर व्यय का विवरण	41
5. वेतन और भत्तों पर व्यय	43
6. आर्थिक सहायताओं का विवरण	49
7. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	52
8. ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा	71
9. ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	72

लेखे एक नज़र में

2013-14

भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां, कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का दायित्व हैं। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

वित्त लेखों में सिविल मंत्रालयों और गैर-सिविल मंत्रालयों अर्थात् रक्षा, डाक और रेलवे के लेन देनों को शामिल करके संघ सरकार के समग्र लेखे तैयार किए जाते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि, लोक लेखों, लोक ऋण लेखों, अन्य देयताओं और लेखों में यथा अभिलिखित परिसम्पत्तियों से होने वाली प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों सहित संघ सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 114 में निर्धारित किया गया है कि “भारत की समेकित निधि से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राशि को छोड़कर कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी”। विनियोग लेखे संसद द्वारा विभिन्न मांगों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विनियोगों का सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मूल मांग और अंतिम विनियोग और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। सभी सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों को शामिल करके विनियोग लेखे संसद में पेश करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा समेकित किए जा रहे हैं। गैर सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखे सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान संघ सरकार के वित्त लेखे महालेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए। विनियोग लेखे सिविल मंत्रालयों के लिए तैयार किए जाते हैं जिनमें 5 विनियोग और 94 अनुदान शामिल हैं।

लेखे एक नज़र में, वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) जिनमें सरकार के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समाविष्ट होते हैं, में दिए गए वित्तीय निष्पादन का सार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

विहंगावलोकन

प्राप्ति व्यय और घाटा*

वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल प्राप्तियां जिनमें उधार की राशियां शामिल हैं ₹1,559,447 करोड़ थीं। सकल कर प्राप्तियां ₹1,134,084 करोड़ थीं जिनमें से ₹318,230 करोड़ (28.06%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व ₹815,854 करोड़ था। सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां (निवल अंतरण) ₹1,056,584 करोड़ थीं।


भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय ₹1,559,447 करोड़ था। इसमें से, राजस्व व्यय ₹1,371,772 करोड़ (88%) और पूंजीगत व्यय ₹187,675 करोड़ (12%) था। कुल व्यय में योजना व्यय और योजनेतर व्यय का भाग क्रमशः 29% (₹453,327 करोड़) और 71% (₹1,106,120 करोड़) था।

वित्तीय विशेषताएं 2013-2014 (₹ करोड़)					
	विवरण	संशोधित अनुमान 2013-14	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2012-13	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1	राजस्व प्राप्तियां	10,29,252	1,014,719	879,231	15%
2	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	8,36,026	815,854	741,877	10%
3	करेतर राजस्व	1,93,226	198,865	137,354	45%
4	पूंजीगत प्राप्तियां	36,643	41,865	40,950	2%
5	कर्जों की वसूलियां	10,802	12,497	15,060	-17%
6	अन्य प्राप्तियां	25,841	29,368	25,890	13%
7	कुल प्राप्तियां (1+4)	10,65,895	1,056,584	920,181	15%
8	योजनेतर व्यय	11,14,903	1,106,120	996,744	11%
9	राजस्व लेखे पर	10,27,689	1,019,040	914,308	11%
10	ब्याज अदायगियां	3,80,066	374,254	313,170	20%
11	पूंजीगत लेखे पर	87,214	87,080	82,436	6%
12	योजना व्यय	4,75,532	453,327	413,627	10%
13	राजस्व लेखे पर	3,71,851	352,732	329,205	7%
14	पूंजीगत लेखे पर	1,03,681	100,595	84,422	19%
15	कुल व्यय (8+12)	15,90,435	1,559,447	1,410,371	11%
16	राजस्व व्यय (9+13)	13,99,540	1,371,772	1,243,513	10%
17	जिसमें से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,38,228	129,839	115,710	12%
18	पूंजीगत व्यय (11+14)	1,90,895	187,675	166,858	12%
19	राजस्व घाटा (16-1)	3,70,288	357,053	364,282	-2%
20	प्रभावी राजस्व घाटा (19-17)	2,32,060	227,214	248,572	-9%
21	राजकोषीय घाटा [15-7]	5,24,450	502,863	490,190	3%
22	प्राथमिक घाटा (21-10)	1,44,474	128,609	177,020	-27%

*इस दस्तावेज में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़े ('वित्तीय विवरण' और 'ऋण और अन्य देयताएं' अध्यायों में दिए गए आंकड़ों को छोड़कर) बजट दस्तावेजों के अनुसार निवलित किए गए हैं।


पिछले दशक के दौरान, सरकार का सकल कर राजस्व ₹304,958 करोड़ [2004-05] से लगभग चार गुना बढ़कर ₹1,134,084 करोड़ [2013-14] हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, वर्ष 2012-13 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद* का 9.99% था। करेतर राजस्व जोकि वर्ष 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.60% था वह वर्ष 2013-14 में कम होकर 1.75% हो गया है।

भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां




राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के संदर्भ में, यद्यपि यह पिछले वर्ष के दौरान 12.30% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 12.08% था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.65% था।

भारत सरकार का व्यय



* वर्ष 2014-15 के बजट दस्तावेजों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद ₹11,355,073 करोड़ है।

केन्द्र की निवल प्राप्तियां कुल व्यय के केवल 68% को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें ₹502,863 करोड़ का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा ₹357,053 करोड़ था। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.43% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.14% था।



घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

₹502,863 करोड़ के घाटे को मुख्य रूप से ₹476,016 करोड़ के आंतरिक ऋण और ₹7,292 करोड़ के बाह्य ऋण से वित्तपोषित किया गया। उधार द्वारा जुटाया गया संसाधन घाटे से अधिक होने के कारण रोकड़ शेष में ₹19,166 करोड़ की वृद्धि हुई।

घाटे का वित्तपोषण (₹ करोड़)

विवरण	2013-14		2012-13	
आंतरिक ऋण	476,016	95%	529,621	108%
बाजार कर्ज	457,551	91%	467,356	95%
खजाना बिल	7,729	2%	53,350	11%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	(-) 209	0%	(-)4,882	(-)1%
अन्य	10,945	2%	13,797	3%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण	7,292	1%	7,201	1%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	(-) 19,166	(-)4%	(-)51012	(-)10%
लोक लेखा	38,721	8%	4380	1%
कुल वित्तपोषण	502,863	100%	516,269	100%


ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹3,994,966 करोड़ के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के ₹3,511,291 करोड़ चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में ₹483,675 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण ₹4,425,348 करोड़ था। वर्ष 2013-14 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व ₹5,008,836 करोड़ था और कुल देयताएं ₹5,069,409 करोड़ थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन (₹ करोड़)					
विवरण	01 अप्रैल 13	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 14	वृद्धि/कमी
ऋण*	3,941,673	3,994,966	3,511,291	4,425,348	483,675
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	470,294	407,541	389,826	488,009	17,715
ब्याज वाली अन्य देयताएं	83,871	49,987	38,379	95,479	11,608
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	56,033	191,245	186,705	60,573	4,540
कुल ऋण और अन्य देयताएं	4,551,871	4,643,739	4,126,201	5,069,409	517,538

पिछले दस वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2004-05 में ₹1,467,242 करोड़ था वह वर्ष 2013-14 में तीन गुना होकर ₹4,615,250 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद का 47% था वह वर्ष 2013-14 के अंत में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 40.65% हो गया। वर्ष 2013-14 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 37.35% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 3.30% था।

भारत सरकार का ऋण



प्राप्तियों और व्यय, लोक ऋण और अन्य देयताओं का दस वर्ष का सारांश परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

* बाह्य ऋण (₹184,581 करोड़) ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (₹374,483 करोड़) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि ₹4,615,250 करोड़ होती।

** 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केंद्र सरकार की कुल देयता ₹1,112,803 करोड़ है। इसमें से ₹79,376 करोड़ संचयी घाटा है, ₹519,145 करोड़ का निवेश विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में, आईआईएफसीएल में ₹1500 करोड़ का निवेश किया गया और निजी निधि प्रबंधकों के पोलिफ निवेश से संबंधित ₹24,773 करोड़ हैं और इस प्रकार इस लेखे की ₹488,009 करोड़ की निवल बकाया देयता रह गई है।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार ने ₹1,056,584 करोड़ (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतरण का निवल) का राजस्व एकत्रित किया और ₹3,994,599 करोड़ का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार, ₹5,051,183 करोड़ थीं। इसमें से, ₹3,511,291 करोड़ पिछले ऋण की पुनर्दायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और ₹1,559,447 करोड़ सरकार के चालू कार्यकलापों पर व्यय किए गए। इससे भारत की समेकित निधि के शेष में ₹19,555 करोड़ की कमी आई। तथापि, लोक लेखे में ₹38,721 करोड़ की निवल प्राप्ति के कारण सरकारी रोकड़ शेष में ₹19,166 करोड़ की वृद्धि हुई।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग (₹ करोड़)

	स्रोत		अनुप्रयोग	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व	1,056,584	920,181	व्यय	1,559,447
कर	815,854	741,877	योजना	453,327
करेतर	198,865	137,354	योजनेतर	1,106,120
ऋणोत्तर पूंजी	41,865	40,950	ब्याज अदायगी	374,254
अन्य स्रोत	4,014,155	3,917,083	अन्य अनुप्रयोग	351,129
नया ऋण	3,994,599	3,963,715	ऋण की पुनर्दायगी	3,511,291
आंतरिक*	3,969,183	3,940,406	आंतरिक	3,493,167
बाह्य	25,416	23,309	बाह्य	18,124
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	(-)19,166	(-)51,012		16,108
लोक लेखा	38,721	4,380		
जोड़	5,070,738	4,837,264	जोड़	5,070,738
				4,837,264

पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2013-14 के दौरान कर प्राप्तियों में 10% की और करेतर प्राप्तियों में 45% की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों में कुल 15% की वृद्धि हुई। सरकारी व्यय में 11% की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 10% की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत व्यय में 12% की वृद्धि हुई। योजना व्यय में 10% की वृद्धि हुई जबकि योजनेतर व्यय में 11% की वृद्धि हुई।

* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियों का निवल (वर्ष 2013-14 के दौरान ₹367 करोड़)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्त निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में “नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें” सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे संसद से प्राधिकृत करना लंबित रखा जाता है, सरकार के पास अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

- (क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,
- (ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेन देन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का भंडार, और

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंतः निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाह्य सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान आदि में परिवर्तित करना)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटी और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है, अतः भौतिक परिसम्पत्तियों को मूल्यहासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता। भौतिक परिसम्पत्तियों की समय सीमा का अंत होने पर उनकी हानियों अथवा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेन देनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां/व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां, जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात "8680 - विविध सरकारी लेखे" को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

लेखाकरण मानक

गारंटी विवरण गारंटी प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित 'भारतीय गारंटी लेखाकरण मानक' के अनुसरण में है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) का अंतर है। राजकोषीय घाटे के तत्व हैं (क) राजस्व घाटा, जो कि सरकार के वर्तमान (या राजस्व) व्यय एवं कुल वर्तमान प्राप्तियों (अर्थात उधार को छोड़कर) और (ख) पूंजीगत व्यय का अंतर है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक से उधार (जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा धन जुटाना भी कहा जाता है) और बाजार उधार (मुद्रा बाजार अर्थात मुख्यतः बैंकों से) द्वारा किया जा सकता है।

प्रारंभिक घाटा

राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर प्रारंभिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या सरकार के ब्याजेतर व्यय की प्राप्तियों से अधिकता के रूप में की जा सकती है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए सृजन के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय और (राजस्व लेखे पर) और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, जिसे राजस्व व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

योजना एवं योजनेतर व्यय

योजनेतर व्यय एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अनिवार्य स्वरूप के सरकार के सभी व्यय अर्थात ब्याज अदायगियां, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पेंशन प्रभार और सांविधिक अंतरण को शामिल करने के लिए किया जाता है। व्यय का एक भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों अर्थात रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों और राजस्व संग्रहण से संबंधित होता है। अन्य सभी व्यय योजना व्यय होता है। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपनी प्राप्तियों एवं अदायगियों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल होने की स्थिति को समाप्त कर सकें। ऐसे अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत 'प्रत्येक मामले में उस अग्रिम को देने की तारीख से 3 माह तक प्रतिदेय' होते हैं। दो प्रकार के अर्थोपाय अग्रिम होते हैं - सामान्य और विशेष।

संशोधित अनुमान/बजट अनुमान/वास्तविक

बजट अनुमान उस वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष को सरकार का व्यय एवं प्राप्त प्रावधान होता है जिसे सामान्यतः वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किसी वर्ष के बजट दस्तावेज में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान भी दर्शाए जाते हैं जो कि सरकार का कमोबेश वास्तविक अनुमानित व्यय होता है। तथापि, वास्तविक व्यय या वास्तविक का संकलन वर्ष के दौरान किए गए सरकार के यथार्थ व्यय को लेखे में लेने के बाद किया जाता है और इसे वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्शाया जाता है।

उधार

सरकार, सरकार के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से उधार लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत लोक लेखा भी होता है। आंतरिक उधार में मुख्य रूप से बाजार कर्ज शामिल होते हैं।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्त (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्दायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्दायगी और विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेन देनों को 6-स्तरीय उत्क्रम ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशतः विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर सांविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ मुख्य शीर्ष - सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- ❖ उप-मुख्य शीर्ष - सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- ❖ लघु शीर्ष - सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- ❖ उप शीर्ष - स्कीम का द्योतक है।
- ❖ ब्योरेवार शीर्ष - उप स्कीम का द्योतक है, और
- ❖ वस्तुगत शीर्ष - व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेन देनों को 'योजना' या 'योजनेतर' व्यय और 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने तक लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय को नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेन देनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ अल्प बचत
- ❖ आरक्षित निधियां
- ❖ जमा और अग्रिम
- ❖ उचंत और विविध
- ❖ प्रेषण
- ❖ रोकड़ शेष

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़)

	31 मार्च] 2014	31 मार्च] 2013
देयताएं	5,068,235	4,537,838
क. लोक ऋण	4,425,348	3,941,855
1. आंतरिक ऋण	4,240,767	3,764,566
2. बाह्य ऋण	184,581	177,289
ख. आकस्मिकता निधि	500	500
ग. लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिमों का निवल)	642,387	595,483
1. आरक्षित निधियां	30,343	26,880
2. जमा और अग्रिम	124,035	98,491
3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	488,009	470,112
परिसम्पत्तियां	5,068,235	4,537,838
क. रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	137,582	118,451
1. रोकड़ शेष	87,582	68,451
2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	50,000	50,000
ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	560,803	589,989
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	319,613	282,811
2. कर्ज तथा अग्रिम	241,190	235,342
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	149,867	148,900
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	91,323	86,442
3. उचत और विविध	80,721	71,836
ग. संचित घाटा*	4,289,129	3,829,398

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2013-14)

*पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण
(₹ करोड़)

	2013-14	2012-13
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	1,217,794	1,055,891
कर राजस्व	820,766	744,914
करेतर राजस्व	393,410	308,666
सहायता अनुदान	3,618	2,311
अन्य प्राप्तियां	29,368	25,890
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	4,231	2,761
अन्य	25,137	23,129
कुल प्राप्तियां	1,247,162	1,081,781
व्यय		
राजस्व लेखा	1,575,097	1,420,473
सामान्य सेवाएं	679,852	586,927
सामाजिक सेवाएं	133,981	116,712
आर्थिक सेवाएं	561,860	535,434
सहायता अनुदान	199,404	181,400
पूंजीगत लेखा	130,532	117,531
सामान्य सेवाएं	88,064	79,479
सामाजिक सेवाएं	3,813	5,102
आर्थिक सेवाएं	38,655	32,950
विविध	661	3,484
कुल व्यय	1,706,290	1,541,488
पूर्व अवधि समायोजन	603	-389
घाटा*	459,731	459,318

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2013-14)

* घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रणीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया गया है।


**प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण
(₹ करोड़)**

	2013-14	2012-13
प्राप्तियां	5,959,637	5,737,226
भारत की समेकित निधि	5,266,677	5,076,442
कर राजस्व	820,766	744,914
करेतर राजस्व	393,410	308,666
सहायता अनुदान और अंशदान	3,618	2,311
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29,368	25,890
लोक ऋण	3,994,966	3,968,038
कर्ज तथा अग्रिम	24,549	26,623
भारत की आकस्मिकता निधि	0	0
लोक लेखा	692,960	660,784
अल्प बचतें, भविष्य निधि	407,541	381,315
आरक्षित निधियां	127,520	117,117
जमा तथा अग्रिम	151,607	147,398
उचंत और विविध	2,744	11,832
प्रेषण	3,548	3,122
संवितरण	5,940,471	5,686,214
भारत की समेकित निधि	5,286,232	5,029,811
सामान्य सेवाएं	679,852	586,927
सामाजिक सेवाएं	133,981	116,712
आर्थिक सेवाएं	561,860	535,434
सहायता अनुदान और अंशदान	199,404	181,400
पूंजीगत परिव्यय	168,844	150,382
ऋण की पुनर्दायगी	3,511,291	3,426,893
कर्ज तथा अग्रिम	31,000	32,063
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	0	0
लोक लेखा	654,239	656,403
अल्प बचतें, भविष्य निधि	389,826	375,092
आरक्षित निधियां	124,057	117,529
जमा तथा अग्रिम	126,063	144,676
उचंत और विविध	13,110	16,275
प्रेषण	1,183	2,831
संवितरणों पर प्राप्तियां	19,166	51,012
प्रारंभिक रोकड़ शेष	68,452	17439
अंत रोकड़ शेष	87,618	68,451

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखे (2013-14)

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल होते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों का लगभग 77% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (19%) और ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (4%) से प्राप्त हुआ। निगम कर, आय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोत बने रहे जिनका कुल सरकारी ऋणोत्तर प्राप्तियों में लगभग 77% अंशदान रहा। ऋणोत्तर सरकारी प्राप्तियों के मुख्य अंशदाता निगम कर (27%), संघ उत्पाद शुल्क (13%), आयकर (16%), सीमा शुल्क (11%), सेवा कर (10%), ब्याज प्राप्तियां (2%) और लाभांश (5%) हैं।



वर्ष 2013-14 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] ₹1,056,584 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹741,877 करोड़ से 10% बढ़कर ₹815,854 करोड़ हो गया जबकि करेतर राजस्व ₹137,354 करोड़ से 45% बढ़कर ₹198,865 करोड़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की कुल प्राप्तियों में 15% की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम के कारण प्राप्त किए गए ₹14,023 करोड़ शामिल हैं।

ऋणोत्तर प्राप्तियां (₹ करोड़)			
विवरण	2013-14	2012-13	वृद्धि
कर राजस्व	815,854	741,877	10%
करेतर राजस्व	198,865	137,354	45%
अन्य प्राप्तियां	41,865	40,950	2%
कुल ऋणोत्तर प्राप्तियां	1,056,584	920,181	15%

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2012-13 में ₹741,877 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹815,854 करोड़ हो गया - इसमें ₹73,977 करोड़ [10%] की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धियां आय कर (28%), धन कर (19%), सेवा कर (17%), निगम कर (11%), सीमा शुल्क (4%), में देखी गई। संघ उत्पाद शुल्क में यद्यपि, 4% की कमी हुई।

कर राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2013-14			2012-13			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित*	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1. निगम कर	394,678	107,296	287,382	356,326	104,964	251,362	11%
2. आय कर	237,817	70,651	167,166	196,843	62,840	134,003	21%
3. ब्याज कर	8	-	8	6	-	6	33%
4. अनुषंगी हितलाभ कर	5	-	5	-44	-	-44	111%
5. व्यय कर	9	-	9	15	-	15	(-41%)
6. धन कर	1,007	295	712	844	177	667	19%
7. प्रतिभूति लेनदेन	5,018	-	5,018	4,997	-	4,997	0%
8. बैंकिंग रोकड़ लेनदेन	0	-	0	0	-	0	0%
9. सीमा शुल्क	172,085	52,054	120,031	165,346	48,558	116,788	4%
10. संघ उत्पाद शुल्क	169,455	36,764	132,691	175,845	33,001	142,844	(-4%)
11. सेवा कर	154,778	51,170	103,608	132,601	42,007	90,594	17%
12. अन्य कर	744	-	744	361	-	361	106%
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3,130	-	3,130	3,094	-	3,094	1%
14. एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	(-4,650)	-	(-4,650)	(-2,810)	-	(-2,810)	65%
	1,134,084	318,230	815,854	1,033,424	291,547	741,877	10%

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों, लोक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में प्रोद्भूत होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2012-13 में ₹137,354 करोड़ था वह 2013-14 के दौरान बढ़कर ₹198,865 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसमें ₹61,511 करोड़ [45%] की वृद्धि हुई।

करेतर राजस्व

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)
1.	ब्याज प्राप्तियां	21,868	20,760	5%
2.	लाभांश और लाभ	90,435	53,761	68%
3.	संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व	1,474	1,117	32%
4.	अन्य करेतर राजस्व	85,088	61,716	38%
	कुल करेतर राजस्व	198,865	137,354	45%

ब्याज प्राप्तियां (सकल)

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों सहित विभिन्न निकायों को दिए गए कर्जों से प्राप्त होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त होने वाला ब्याज कुल ब्याज प्राप्तियों का 20% है। रेलवे (18%) और सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम (4%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां (सकल) ₹44,027 करोड़ थीं। पिछले वर्ष की तुलना में, ब्याज प्राप्तियों में ₹5,167 करोड़ (13%) की वृद्धि हुई। ब्याज प्राप्तियों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ₹1,272 करोड़ और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ₹189 करोड़ की कमी आई। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले ब्याज में भी ₹421 करोड़ की कमी आई। तथापि, रेलवे से होने वाली ब्याज प्राप्तियां, जोकि 2012-13 में ₹5,441 करोड़ थीं वे 2013-14 में ₹7,983 करोड़ हो गईं और इस प्रकार इनमें 47% की भारी वृद्धि हुई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल)					
(₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	8,985	9,406	10,040	10,496
2.	रेलवे	7,983	5,441	5,630	4,916
3.	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	1,108	1,149	6,064	161
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के और	1,726	2,998	1,968	5,966
	अन्य उपक्रम				
5.	अन्य	24,225	19,866	16,352	13,760
	कुल	44,027	38,860	40,054	35,299

लाभांश

वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश जोकि 2012-13 के दौरान ₹53,762 करोड़ था उसमें ₹36,680 करोड़ (68%) की भारी वृद्धि होकर वह 2013-14 में ₹90,442 करोड़ हो गया।

लाभांश - मुख्य स्रोत (सकल)					
(₹ करोड़)					
क्र.सं.	मुख्य स्रोत	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	47,333	30,630	29,034	24,695
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,437	1,282	1,138	1,031
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	8,184	5,656	5,029	3,354
4.	भारतीय रिजर्व बैंक	33,010	16,010	15,009	18,759
5.	अन्य	478	184	399	154

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां

ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यतः सरकार की परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय होती है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के कारण ₹4,231 करोड़ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर प्रीमियम से ₹14,023 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)					
क्र.सं.	स्रोत	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों का विनिवेश	4,231	2,761	401	1,676
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	14,023	22,647	13,627	20,601
3.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	11,114	482	4,060	569
	कुल	29,368	25,890	18,088	22,846

* संघ सरकार के करेतर राजस्व को दर्शाने वाला विवरण और वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-3 पर है।

व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार का कुल व्यय ₹1,559,447 करोड़ था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹149,076 करोड़ [11%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय ₹1,371,772 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹128,259 करोड़ [10%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय ₹187,675 करोड़ था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹20,817 करोड़ [12%] की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 12% था।

व्यय (₹ करोड़)							
विवरण	2013-14			2012-13			वर्ष
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	प्रतिवर्ष वृद्धि
राजस्व	352,732	1,019,040	1,371,772	329,205	914,308	1,243,513	10%
सामान्य सेवाएं	1,296	640,335	641,632	532	553,853	554,385	16%
सामाजिक सेवाएं	102,219	27,112	129,331	91,304	22,597	113,901	14%
आर्थिक सेवाएं	114,377	287,028	401,405	107,192	286,634	393,827	2%
सहायता अनुदान	134,840	64,565	199,404	130,177	51,223	181,400	10%
पूंजीगत	100,595	87,080	187,675	84,422	82,436	166,858	12%
सामान्य सेवाएं	4,841	83,222	88,063	4,725	74,753	79,479	11%
सामाजिक सेवाएं	3,458	356	3,814	4,882	220	5,102	(-)25%
आर्थिक सेवाएं	73,622	2,979	76,601	58,421	2,142	60,563	26%
कर्ज एवं अग्रिम	18,674	523	19,197	16,394	5,320	21,714	(-)12%
कुल व्यय	453,327	1,106,120	1,559,447	413,627	996,744	1,410,371	11%


₹187,675 करोड़ के कुल पूंजीगत व्यय में से ₹168,478 करोड़ (90%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (10%) के रूप में हुआ।

पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)							
	परिसंपत्ति निर्माण		ऋण की पुनर्दायगी*		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
2004-05	40,549	36%	32,675	29%	40,107	35%	113,331
2005-06	53,869	81%			12,493	19%	66,362
2006-07	58,759	85%			10,019	15%	68,778
2007-08	106,940	90%			11,298	10%	118,238
2008-09	75,572	84%			14,586	16%	90,158
2009-10	97,032	86%			15,346	14%	112,378
2010-11	131,620	84%			24,985	16%	156,605
2011-12	130,575	82%			28,005	18%	158,580
2012-13	145,144	87%			21,714	13%	166,858
2013-14	168,478	90%			19,197	10%	187,675

*नए ऋण में शामिल न किए गए ऋण की पुनर्दायगी को दर्शाता है।

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹729,695 करोड़ (कुल व्यय का 47%) था। इसमें राज्यों के अंगों, राजकोषीय सेवाओं, पेंशनों, रक्षा आदि पर व्यय शामिल है। व्यय, सामाजिक सेवाओं पर ₹133,145 करोड़ (कुल व्यय का 8%) और आर्थिक सेवाओं पर ₹478,006 करोड़ (कुल व्यय का 31%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में ₹199,404 करोड़ (कुल व्यय का 13%) जारी किए गए। वर्ष के दौरान ₹19,197 करोड़ (कुल व्यय का 1%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।



योजना व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान योजना व्यय ₹453,327 करोड़ था। पिछले वर्ष के ₹413,627 करोड़ की तुलना में, योजना व्यय में 10% की वृद्धि हुई।

योजनेतर व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के ₹996,744 करोड़ की तुलना में ₹1,106,120 करोड़ था जो 11% अधिक था। अकेले ब्याज अदायगियां (₹374,254 करोड़) ही कुल योजनेतर व्यय का 34% लेखाबद्ध की गईं। रक्षा व्यय (₹203,499 करोड़) और आर्थिक सहायताएं (₹254,745 करोड़) योजनेतर व्यय की अन्य प्रमुख मदें थीं।

योजनेतर व्यय - मुख्य संघटक (₹ करोड़)					
विवरण	2013-14		2012-13		वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
ब्याज	374,254	34%	313,170	31%	19%
आर्थिक सहायताएं	254,745	23%	257,174	26%	(-)1%
रक्षा	203,499	18%	181,776	18%	12%
पेंशन	74,896	7%	69,478	7%	8%
पुलिस	43,952	4%	37,285	4%	18%
सहायता अनुदान	64,565	5%	51,223	5%	26%
कर्ज	523	0%	5,320	1%	(-) 90%
संघ राज्य क्षेत्रों का योजनेतर व्यय	4578	1%	4159	1%	10%
अन्य	85,108	8%	77,159	8%	13%
कुल	1,106,120	100%	996,744	100%	11%

ब्याज अदायगियों में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि हुई जबकि रक्षा व्यय में 12% की वृद्धि हुई। आर्थिक सहायताओं पर व्यय में, यद्यपि, 1% की मामूली कमी हुई। पेंशनों (₹74,896 करोड़) और पुलिस (₹43,952 करोड़) पर व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 8% और 18% की वृद्धि हुई।

आर्थिक सहायता

आर्थिक सहायताओं पर व्यय जोकि वर्ष 2012-13 में ₹257,174 करोड़ था वह वर्ष 2013-14 में घटकर ₹254,745 करोड़ हो गया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1% की कमी हुई। खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता क्रमशः ₹92,000 करोड़, ₹67,465 करोड़ तथा ₹85,378 करोड़ थी। वर्ष 2013-14 के दौरान आर्थिक सहायता में समग्र कमी, मुख्य रूप से पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की कमी होने के कारण थी।

मुख्य आर्थिक सहायता (₹ करोड़)			
विवरण	2013-14	2012-13	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	92,000	85,000	8%
उर्वरक	67,465	65,708	3%
पेट्रोलियम	85,378	96,880	(-)12%
अन्य	9,902	9,586	3%
कुल	254,745	257,174	(-)1%

खाद्य आर्थिक सहायता में 8% की वृद्धि हुई जबकि उर्वरक आर्थिक सहायता में 3% की वृद्धि हुई। अन्य मदों पर आर्थिक सहायता बिल में भी 3% की वृद्धि हुई।

ब्याज सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹849 करोड़ की वृद्धि हुई। ब्याज सहायता का मुख्य घटक किसानों को अल्पकालिक ऋण (₹6,000 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए दी गई आर्थिक सहायता थी। अन्य आर्थिक सहायता, यद्यपि 2012-13 में ₹2,316 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹1,782 करोड़ हो गई।

1. संघ सरकार के योजनेतर व्यय के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-4 पर है। वेतन एवं भत्ते योजनेतर व्यय के महत्वपूर्ण भाग हैं। वेतन एवं भत्तों पर मंत्रालय-वार/विभाग-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-5 पर है।
2. आर्थिक सहायताओं के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-6 पर है।

निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार ने ₹31,000 करोड़ के नए कर्ज दिए और पिछले वर्षों में दिए गए कर्जों की पुनर्दायगी के रूप में ₹24,549 करोड़ प्राप्त किए। इस प्रकार, अग्रिमों की राशि में ₹6,451 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 के अंत में, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज की राशि ₹241,190 करोड़ थी।

सरकार द्वारा दिए गए उधार (₹ करोड़)						
क्र. सं.	विवरण	01-अप्रैल-13	वृद्धियां	प्राप्तियां	31 मार्च 14	वृद्धि/कमी
1.	राज्य सरकारें	144,809	11,008	10,008	145,809	1000
2.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	4,088	82	112	4,058	(-)30
3.	विदेशी सरकारें	6,539	1,625	344	7,820	1,281
4.	सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	78,574	18,120	13,769	82,925	4,351
5.	सरकारी कर्मचारी	729	165	316	578	(-)151
	कुल	234,739	31,000	24,549	241,190	6,451

निवेश

वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ₹38,313 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनियों में सरकार का कुल निवेश ₹435,128 करोड़ था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश (₹ करोड़)		
क्र.सं.	विवरण	निवेश की गई राशि
1.	सांविधिक निगम	6,493
2.	सरकारी कंपनियां	279,764
3.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय	58,691
4.	राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	89,902
5.	सहकारी समितियां	278
	कुल	435,128


योजनागत और योजनेतर व्यय के मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्योरे परिशिष्ट-7 पर हैं।

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण कहा जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2014 को सरकार की कुल देयताएं ₹5,069,409 करोड़ थीं। आंतरिक ऋण ₹4,240,767 करोड़ (83%), बाह्य ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर] ₹184,581 करोड़ (4%) और अन्य देयताएं ₹644,061 करोड़* (13%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं



31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल लोक ऋण [ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण] ₹4,425,348 करोड़ था। लोक ऋण जोकि वर्ष के आरंभ में ₹3,994,966 करोड़ था उसमें वर्ष के दौरान 11% की वृद्धि हुई। लोक ऋण, 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार वर्तमान विनिमय दर पर ₹4,615,250 करोड़ था जबकि 31.3.2013 को यह ₹4,096,570 करोड़ था।

*31.3.2014 को लोक लेखे में केंद्र सरकार की कुल देयता ₹1,268,855 करोड़ है। इसमें से, ₹79,376 करोड़ संचित घाटा है, ₹519,145 करोड़ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में और ₹1,500 करोड़ आईआईएफसीएल में निवेश किए गए और पीओएलआईएफ से संबंधित ₹24,773 करोड़ निजी निधि प्रबंधकों के पास निवेश किए गए और इस प्रकार इस संबंध में ₹644,061 करोड़ की निवल बकाया देयता है।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में जारी की गई केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां आदि भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण की कुल राशि, जोकि वर्ष के प्रारंभ में ₹3,764,384 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹4,240,767 करोड़ हो गई। बाजार कर्ज में ₹457,551 करोड़ की वृद्धि होकर ₹3,441,642 करोड़ हो गया।

आंतरिक ऋण (₹ करोड़)					
स्रोत	01 अप्रैल 2013	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2014	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	2,984,091	595,147	137,596	3,441,642	457,551
अं.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	32,226	4,444	1,489	35,181	2,955
364 दिन के खजाना बिल	130,471	136,956	130,471	136,956	6,485
अर्थोपाय अग्रिम	-	242,425	242,425	-	-
14 दिन के खजाना बिल	118,458	2,151,860	2,183,502	86,816	(-)31,642
विक्रय प्रतिभूतियां	76,818	-	4,000	72,818	(-)4,000
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	64,569	-	-	64,569	-
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	31,957	3,640	1,303	34,294	2,337
बाजार स्थिरीकरण स्कीम	-	-	-	-	-
अन्य	325,794	835,078	792,381	368,491	42,697
कुल आंतरिक ऋण	3,764,384	3,969,550	3,493,167	4,240,767	476,383

बाजार स्थिरीकरण स्कीम को मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के कारण बाजार में उपलब्ध अधिक चल निधि को आमेलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया था। 31.3.2014 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत कोई बकाया शेष नहीं है।

बाह्य ऋण

2013-14 के अंत में बाह्य ऋण की राशि [ऐतिहासिक विनिमय दर पर] ₹184,581 करोड़ है जो कुल बकाया ऋण का 4% है। वर्तमान विनिमय दर पर [31.3.2014 की स्थिति के अनुसार] यह ₹374,483 करोड़ है - इसमें 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया ₹332,004 करोड़ में ₹42,479 करोड़ की वृद्धि हुई।

ब्याजयुक्त बाजार कर्जों की परिपक्वता विवरणिका परिशिष्ट-8 पर है।

बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01 अप्रैल 2013	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2014	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	57,984	7,008	5,896	59,096	1,112	161,165
जापान	40,021	8,777	3,875	44,923	4,902	79,825
एशियाई विकास बैंक	37,238	4,309	2,032	39,515	2,277	51,469
जर्मनी	2,385	899	1,157	2,127	(-)258	16,085
आईबीआरडी	39,089	3,403	3,678	38,814	(-)275	55,433
आईएफएडी	698	185	69	814	116	2,182
संयुक्त राज्य अमेरिका	(-)940	0	174	(-) 1,114	(-) 174	1,452
अन्य	814	835	1,243	406	(-) 408	6,872
कुल बाह्य ऋण	177,289	25,416	18,124	184,581	7,292	374,483

बाह्य ऋण को विदेशी मुद्रा में निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (₹ करोड़)						
स्रोत	मुद्रा	01 अप्रैल 2013	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2014	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	818	70	33	855	37
जर्मनी	यूरो	196	11	14	193	(-)3
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	891	57	60	888	(-)3
आईडीए	अमरीकी डालर	300	0	24	276	(-)24
आईडीए	एसडीआर	1,531	73	48	1,556	25
जापान	येन	128,124	13,808	6,360	135,572	7,448
रूसी परिसंघ	₹	675	0	28	647	(-)28
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	106	0	15	91	(-)15

लोक लेखे की देयताएं

31 मार्च, 2014 को लोक लेखे में कुल देयताएं ₹644,061 करोड़ थीं। ब्याज वाली देयताएं ₹583,488 करोड़ थीं और शेष ₹60,573 करोड़ की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं (₹ करोड़)					
विवरण	01 अप्रैल 2013	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2014	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	470,294	407,541	389,826	488,009	17,715
अन्य ब्याज वाली	83,871	49,987	38,379	95,479	11,608
आरक्षित निधि	5,283	37,560	34,616	8,227	2,944
जमा	78,588	12,427	3,763	87,252	8,664
अन्य बिना ब्याज वाली	56,033	191,245	186,705	60,573	4,540
आरक्षित निधियां	2,1597	89,960	89,440	22,117	520
जमा	34,436	101,285	97,265	38,456	4,020
कुल	610,198	648,773	614,910	644,061	33,863

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से, अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में वापस निवेश कर दिया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण [निवल] ₹43,804 करोड़ था। इस अवधि के दौरान निधि की आय [इसके निवेशों पर] और व्यय क्रमशः ₹67,828 करोड़ और ₹77,728 करोड़ थे। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के निवेश में ₹14,281 करोड़ की कमी आई। इस प्रकार, इस निधि के अंतर्गत शेष जो कि वर्ष के आरंभ में ₹77,516 करोड़ था वह वर्ष के अंत में बढ़कर ₹97,139 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ करोड़)					
विवरण	01 अप्रैल 2013	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 2014	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	814,545	318,249	206,617	926,177	111,632
संग्रहण	814,545	250,421	206,617	858,349	43,804
बचत जमा	383,104	179,174	163,286	398,992	15,888
बचत प्रमाण पत्र	195,802	20,576	28,205	188,173	(-),7,629
लोक भविष्य निधि	235,639	50,671	15,126	271,184	35,545
निवेश से आय		67,828		67,828	67,828
बहिर्वाह	737,029	24,657	116,666	829,038	92,009
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	735,529	24,657	38,938	749,810	14,281
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	216,808	1,303	13,660	229,165	12,357
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	517,221	23,354	25,278	519,145	1,924
अन्य लिखतों के अंतर्गत निवेश	1,500	0	0	1,500	0
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय			77,728	77,728	77,728
शेष	77516	293592	89951	97139	19623

31 मार्च, 2014 को इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति, निधि के कुल स्टॉक में ₹858,349 करोड़ की देयताएं थीं, जिसमें से ₹398,992 करोड़ बचत जमाओं के लिए, ₹188,173 करोड़ बचत प्रमाण पत्रों के लिए और ₹271,184 करोड़ लोक भविष्य निधि में रखे गए हैं। वर्ष 2013-14 के अंत में निधि का निवेश ₹749,810 करोड़ था, जिसमें से ₹519,145 करोड़ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, ₹229,1655 करोड़ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष ₹1,500 करोड़, अन्य लिखतों में निवेश किए गए हैं।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक की धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

गारंटियों का विवरण 01.04.2010 से प्रभावी संगत 'भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों' के अनुसार है।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उनके शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार के आधार पर सामग्रियों और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी आदि की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया था वह ₹270,629 करोड़ थी। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹249,503 करोड़ की गारंटियां बकाया थीं। वर्ष 2013-14 के लिए गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹12,972 करोड़ है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.11% है। वर्ष 2013-14 के दौरान वसूल किए गए ₹608 करोड़ की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में ₹682 करोड़ वसूल किए।

सरकार की गारंटियां (₹ करोड़)				
	विवरण	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014	वृद्धि/कमी
I	भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज आदि के लिए गारंटियां	77,549	71,295	(-)6,254
II	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जा आदि की पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां	17,171	27,834	10,663
III	मूलधन की पुनर्अदायगी, कर्ज पर ब्याज/ प्रतिबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को पूर्ति के लिए करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां	141,200	149,763	8,563
IV	कंपनियों/निगमों को पूर्तियों के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति-गारंटियां	611	611	—
V	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	—	—	—
VI	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई सविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटियां	—	—	—
VII	कोई अन्य	—	—	—
	कुल	236,531	249,503	12,972

विनियोग लेखे

वर्ष 2013-14 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 99 अनुदानों के अंतर्गत ₹5,651,863 करोड़ के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान ₹63,954 करोड़ के पूरक अनुदानों आदि के माध्यम से बढ़ाकर ₹5,715,817 करोड़ कर दिया गया। ₹5,715,817 करोड़ का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में ₹370,449 करोड़ [7%], अधिक था।

इस प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹4,990,057 करोड़ था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय ₹3,975,665 करोड़ और बचत ₹517,962 करोड़ थी जबकि स्वीकृत अंश के अंतर्गत व्यय, ₹1,014,392 करोड़ और बचत ₹207,798 करोड़ थी।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार (₹ करोड़)					
	मूल प्रावधान	अंतिम प्रावधान	अंतर	वास्तविक व्यय	अंतर
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4)	(5) = (4) - (2)
प्रभारित	4,477,833	4,493,627	15,794	3,975,665	(-) 517,962
स्वीकृत	1,174,030	1,222,190	48,160	1,014,392	(-) 207,798
कुल	5,651,863	5,715,817	63,954	4,990,057	(-) 725,760

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 20% था, शेष 80% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से ऋण की पुनर्दायगी (₹3,511,291 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹395,200 करोड़) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (₹64,904 करोड़) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.89% था। विनियोग - “ऋण की पुनर्दायगी” में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी ₹3,241,120 करोड़ की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों के राजस्व भाग के प्रभारित और स्वीकृत अंश के अंतर्गत कुल प्रावधानों से अधिक व्यय होने के दो मामले और पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में एक मामला था।

समस्त प्रावधान की अपेक्षा अधिक व्यय (₹ करोड़)								
अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम		अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
			राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
20	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	15696.62	-	15732.51	-	35.89	-
21	रक्षा पेंशन	प्रभारित	4.23	-	4.98	-	0.75	-
31	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	-	1893.50	-	1896.45	-	2.95

बचत

वर्ष 2013-14 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में ₹725,800 करोड़ की बचत हुई। कुल ₹40 करोड़ का अधिक व्यय भी हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुईं।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचत (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
01	कृषि और सहकारिता विभाग	राजस्व स्वीकृत	3,317	कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों/राज्य सरकार के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण।
29	पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	3,325	राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब होने की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण।
33	आर्थिक कार्य विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	63,463	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों/रोकड़ में) के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण।
34	वित्तीय सेवाएं विभाग	पूँजीगत स्वीकृत	14,017	अपर्याप्त विनिवेश प्राप्तियों की वजह से राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूँजीकरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण।
35	ब्याज अदायगियां	राजस्व प्रभारित	5,301	केंद्रीय सरकार के मध्यवर्ती खजाना बिलों में राज्य सरकारों द्वारा निवेश की मात्रा कम होने, स्कीम धारकों से कम दावे प्राप्त होने, निधि को कम निवल प्रत्यायन होने के कारण।
36	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	राजस्व प्रभारित	8,230	स्थानीय निकायों के चुनाव न कराए जाने एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र/सिफारिश प्रस्तुत न किए जाने, कुछ राज्य सरकारों द्वारा निधारित शर्तें और निबंधन पूरे न किए जाने के कारण।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचत (₹ करोड़)	कारण
सं.	विवरण			
		राजस्व स्वीकृत	17,698	जल संसाधन मंत्रालय से प्रस्ताव, सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालय से बाह्य सहायता कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।
38	ऋण की पुनर्दायगी	पूँजीगत प्रभारित	502,957	भारत सरकार के रोकड़ शेष में अधिशेष होने की वजह से अर्थोपाय अग्रिमों और ओवर ड्राफ्ट का कम उपयोग किए जाने, कम बिल जारी किए जाने की वजह से कम बिलों को अधिमान दिए जाने और राज्य सरकार द्वारा कम निवेश किए जाने के कारण।
42	राजस्व विभाग	राजस्व स्वीकृत	7,537	राज्य सरकार से केंद्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने, कम निधियों की आवश्यकता होने, स्कीम के स्थापना चरण में होने, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण।
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	5,474	स्कीम में शुरू न किए जाने, पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने, औषधियों एवं उपस्करों की कम अधि-प्राप्ति किए जाने, पेंटावैलेन्ट वैक्सीन शुरू किए जाने में विलम्ब होने के कारण।
59	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व स्वीकृत	10,153	कार्यान्वयन अभिकरणों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और शिक्षा उपकरण का कम संग्रहण होने के कारण।
71	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	37,389	व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।
75	योजना मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	5,799	वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच स्कीमों का पुनः वितरण किए जाने और आधार कार्डों को बनाए जाने के कार्य में शामिल अभिकरणों से दावे प्राप्त न हाने के कारण।
76	विद्युत मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	4,309	भाग लेने वाले राज्यों द्वारा दावे प्रस्तुत न किए जाने, कुछ परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण।
83	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व स्वीकृत	15,817	राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।

महत्वपूर्ण बचतें				
अनुदान/विनियोग		भाग	बचत	कारण
सं.	विवरण		(₹ करोड़)	
84	भूसंसाधन विभाग	राजस्व स्वीकृत	3,277	व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।

₹100 करोड़ और इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-9 पर है।

परिशिष्ट

1. दस वर्षीय सारांश	37
2. करेतर राजस्वों का विवरण	39
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	40
4. योजनेतर व्यय का विवरण	41
5. वेतन और भत्तों पर व्यय	43
6. आर्थिक सहायताओं का विवरण	49
7. मंत्रालयों और विभागों का व्यय	52
8. ब्याज वाले बाजार कर्जों का परिपक्वता ब्योरा	71
9. ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग	72

दस वर्षीय सारांश

परिशिष्ट-1

(₹ करोड़)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियां	306,013	347,462	434,387	541,925	540,259	572,811	788,471	751,158	879,231	1,014,719
सकल कर राजस्व	304,958	364,649	471,512	591,347	603,498	621,368	789,172	884,900	1,033,424	1,134,084
निगम कर	82,680	101,277	144,306	192,911	213,395	244,725	298,688	322,816	356,326	394,678
आय कर	49,258	55,976	75,093	102,644	106,046	122,370	139,102	164,525	196,843	237,817
सीमा शुल्क	57,611	65,067	86,327	104,119	99,879	83,324	135,813	149,328	165,346	172,085
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	99,125	111,226	117,612	123,425	108,402	102,991	137,701	144,901	175,845	169,455
सेवा कर	14,200	23,055	37,597	51,301	60,941	58,422	71,016	97,509	132,601	154,778
केन्द्र को निवल कर राजस्व	224,798	270,264	351,182	439,547	443,319	456,536	569,869	629,486	741,877	815,854
करेतर राजस्व	81,215	77,198	83,205	102,378	96,940	116,275	218,602	121,672	137,354	198,865
ब्याज प्राप्तियां	35,714	22,032	21,371	21,061	20,717	21,783	19,718	20,252	20,760	21,868
लाभांश और लाभ	22,939	25,451	29,309	34,500	38,607	50,250	47,991	50,608	53,761	90,435
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	66,467	12,226	6,426	43,895	6,705	33,194	35,266	36,938	40,950	41,865
विनिवेश से आय	4,364	1,570	-	4,387	22	2,233	1,676	401	2,761	4,231
व्यय	497,682	506,123	583,386	712,732	883,956	1,024,488	1,197,328	1,304,365	1,410,371	1,559,447
योजना व्यय	132,292	140,638	169,860	205,082	275,235	303,393	379,065	412,375	413,627	453,327
योजनेतर व्यय	365,390	365,485	413,526	507,650	608,721	721,095	818,263	891,990	996,744	1,106,120
राजस्व व्यय	384,351	439,761	514,608	594,494	793,798	911,810	1,040,723	1,145,785	1,243,513	1,371,772
पूंजीगत व्यय	44,798	66,362	68,778	118,238	90,158	112,678	156,605	158,580	166,858	187,675
उधार ऋणात्मक पुनर्भूतदायगी	663	692	(8,672)	1,385	1,077	3,382	11,388	1,586	5,441	6,451
राजकोषीय घाटा	125,202	146,435	142,573	126,912	336,992	418,483	373,591	516,269	490,190	502,863
राजस्व घाटा	78,338	92,299	80,221	52,569	253,539	338,999	252,252	394,627	364,282	357,053
प्रभावी राजस्व घाटा							164,765	261,036	248,572	227,214
प्रारंभिक घाटा	(-1732)	13,805	(-7699)	(44,118)	144,788	205,390	139,569	243,119	177,020	129,296
लोक ऋण (शेष)	1,467,242	1,583,957	1,746,207	2,009,755	2,283,900	2,577,645	2,945,992	3,553,519	4,096,570	4,615,250
आंतरिक ऋण	1,275,971	1,389,758	1,544,975	1,799,651	2,019,841	2,328,339	2,667,115	3,230,622	3,764,566	4,240,767
बाह्य ऋण (वर्तमान मूल्य)	191,271	194,199	201,232	210,104	264,059	249,306	278,877	322,897	332,004	374,483
भारत सरकार की अन्य देयताएं	356,037	384,842	438,842	466,602	556,235	583,279	586,457	597,766	610,016	644,061
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशतता										
राजस्व प्राप्तियां	9.8	9.7	10.5	11.50	9.96	9.29	10.27	8.43	8.69	8.94
सकल कर राजस्व	9.8	10.2	11.4	12.55	11.12	10.08	10.28	9.93	10.22	9.99
करेतर राजस्व	2.6	2.2	2.0	2.17	1.79	1.89	2.85	1.37	1.36	1.75
व्यय	15.9	14.2	14.1	15.12	16.29	16.62	15.60	14.64	13.95	13.73
राजस्व व्यय	12.3	12.3	12.5	12.61	14.63	14.79	13.56	12.86	12.30	12.08
पूंजीगत व्यय	1.4	1.9	1.7	2.51	1.66	1.83	2.04	1.78	1.65	1.65
राजकोषीय घाटा	4.0	4.1	3.5	2.69	6.21	6.79	4.87	5.79	4.85	4.43
राजस्व घाटा	2.5	2.6	1.9	1.12	4.67	5.50	3.29	4.43	3.60	3.14
प्रभावी राजस्व घाटा							2.15	2.93	2.46	2.00
लोक ऋण	47.0	44.4	42.3	42.64	42.09	41.82	38.39	39.87	40.51	40.64
आंतरिक ऋण	40.9	39.0	37.4	38.18	37.22	37.77	34.75	36.25	37.22	37.35
बाह्य ऋण	6.1	5.4	4.9	4.46	4.87	4.04	3.63	3.62	3.28	3.30

परिशिष्ट-2

करेतर राजस्व 2013-14

(₹ करोड़)

लेखे एक नज़र में

विवरण	2013-14			2012-13		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क ब्याज प्राप्तियां						
सकल	42629.42	43991.35	103	35002.23	38845.09	111
घटाएं- बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	20434.34	20945.98	103	17323.33	17001.06	98
ब्याज का अधित्याग	1177.24	1177.24	100	1084.03	1084.03	100
निवल	21017.84	21868.13	104	16594.87	20760.00	125
ख लाभांश और लाभ	88187.93	90434.52	103	55442.84	53760.74	97
ग संघ राज्य क्षेत्रों का करेतर राजस्व	1097.01	1474.13	134	1123.09	1117.06	99
घ अन्य करेतर राजस्व						
1. राजकोषीय सेवाएं	193.21	883.77	457	87.61	786.42	898
अन्य सामान्य सेवाएं	13030.28	11745.63	90	13236.37	10391.61	79
घटाएं- राज्य सरकार के कर्ज को बट्टे खाते डालना/ब्याज की माफी	63.69	63.68	100	313.55	220.83	70
घटाएं-गारंटी शुल्क की माफी	12.11	11.47	95	11.80	10.88	92
घटाएं-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में अंशदान और वसूलिया	1000.00	0.00	0	1000.00	0.00	0
2. निवल	11954.48	11670.48	98	11911.02	10159.90	85
3. सामाजिक सेवाएं	1355.48	1263.89	93	1147.42	4765.71	415
आर्थिक सेवाएं -						
सकल	81577.70	83192.61	102	54758.53	57499.79	105
घटाएं-इक्विटी का अवलिखित मूल्य	12.95	12.95	100
घटाएं-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां	4.50	4.58	102	4.75	5.86	123
निवल	81560.25	83175.08	102	54753.78	57493.93	105
कुल अन्य करेतर राजस्व (1+2+3+4)	95063.42	96993.22	102	70661.45	73205.96	104
घटाएं						
वाणिज्यिक विभाग	15275.33	15222.94	102	14109.69	13800.14	98
निवल अन्य करेतर राजस्व	79788.09	81470.28	102	56551.76	59405.82	105
सहायता अनुदान और अंशदान	3134.84	3618.07	115	2761.62	2310.80	84
जोड़	193225.71	198865.13	103	129712.56	137354.42	106

परिशिष्ट-3

वाणिज्यिक प्राप्तियां 2013-14

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2012-13		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
1	सामान्य सेवाएं कैंटीन स्टोर विभाग	12508.00	11694.58	93.50	10800.00	10111.07	93.62
2	आर्थिक सेवाएं दिल्ली दुग्ध योजना	371.40	323.04	86.98	366.46	341.14	93.09
3	अफीम एवं एल्केलायड फैक्ट्रियां	316.47	347.56	109.82	440.03	312.74	71.07
4	ईंधन संरचना सुविधाएं	2166.38	1587.99	73.30	2133.79	1393.34	65.30
5	ईंधन माल सूची	2162.93	2064.25	95.44	1950.00	1917.13	98.31
6	भारी पानी पूल प्रबंधन	910.00	910.00	100.00	990.00	990.00	100.00
7	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	240.63	245.88	102.18	256.66	262.44	102.25
8	प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	230.00	223.80	97.30	200.00	206.85	103.43
9	डाक प्राप्तियां	9787.52	10730.42	109.63	8762.75	9366.50	106.89
10	भारतीय रेल	144167.82	143213.88	99.34	128202.23	126180.43	98.42
	जोड़	172861.15	171341.40	99.12	154101.92	151081.64	98.04

परिशिष्ट-4

योजनेतर व्यय 2013-14

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2013-14		2012-13		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	
			%		%	
क. 1	राजस्व व्यय ब्याज अदायगियां सकल घटाएं प्रोद्भूत ब्याज निवल	400500.66 20434.34 380066.32 124799.89	395199.59 20945.98 374253.61 124374.31	98.68 102.50 98.47 99.66	333997.49 17323.33 316674.16 111276.65	98.85 98.14 98.89 102.16
2	रक्षा	124799.89	124374.31	99.66	108924.89	102.16
3	मुख्य आर्थिक सहायताएं (खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम)	245451.50	244843.27	99.75	247853.97	99.89
4	ब्याज तथा अन्य आर्थिक सहायताएं	10064.75	9901.68	98.38	9800.46	97.81
5	डाक घाटा	5880.09	5339.28	90.80	5838.06	92.25
6	पुलिस	43147.64	42094.88	97.56	37130.97	100.42
7	पेंशन	74076.48	74896.18	101.11	63836.41	108.84
8	आम चुनाव	772.08	711.47	92.15	243.83	95.31
9	अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	22285.04	23050.04	103.43	20851.10	103.26
10	सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	25437.92	25687.33	100.98	21303.70	99.83
11	राज्य आपदा राहत कार्य को सहायता-सकल घटाएं एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से पूरी की गई राशि निवल	4525.00 4650.00 0.00	2810.29 4649.94 0.00	54.34 100.00	4375.00 4375.00 0.00	64.24 64.24
12	रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य रियायतें	4170.00	4046.06	97.03	3021.23	96.75

लेखे एक नज़र में

जारी.....

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	2013-14			2012-13		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
13	आर्थिक सेवाएं	21290.07	20700.40	97.23	18943.84	19090.93	100.78
14	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	61616.71	60551.08	98.27	57901.11	47995.40	82.89
15	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	4442.37	4576.46	103.02	4146.83	4271.11	103.00
16	विदेशी सरकारों को अनुदान	4187.75	4013.42	95.84	3228.87	3227.96	99.97
	कुल-राजस्व व्यय	1027688.61	1019039.47	99.16	919699.43	914308.11	99.41
ख.	पूँजीगत व्यय						
1	रक्षा	78872.23	79125.06	100.32	69578.63	70499.12	101.32
2	अन्य योजनेतर पूँजीगत परिव्यय	7804.07	7430.29	95.21	8101.94	6729.31	83.06
3	सार्वजनिक उद्यमों को कर्ज	559.48	993.07	177.50	468.51	1052.44	224.64
4	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	83.45	80.35	96.29	3406.92	3406.39	99.98
5	विदेशी सरकारों को कर्ज	158.00	156.00	98.73	700.00	700.00	100.00
6	अन्य योजनेतर कर्ज	-172.18	-706.20	410.15	-161.00	160.78	-99.86
7	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	-91.34	1.38	-1.51	-156.23	-112.16	71.79
	कुल-पूँजीगत व्यय	87213.71	87079.95	99.85	81938.77	82435.88	100.61
	कुल	1114902.32	1106119.42	99.21	1001638.20	996743.99	99.51

परिशिष्ट-5

वर्ष 2013-14 के लिए वेतन और भत्तों पर व्यय

		(₹ करोड़)
अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
1	कृषि मंत्रालय	214.99
2	कृषि और सहकारिता विभाग	3.74
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	128.54
4	पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग	2315.83
5	परमाणु ऊर्जा विभाग	1.73
6	परमाणु ऊर्जा	12.33
7	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	12.32
8	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	15.26
9	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	8.83
10	उर्वरक विभाग	63.70
11	औषध निर्माण विभाग	17.98
12	नागर विमानन मंत्रालय	342.25
13	नागर विमानन मंत्रालय	135.81
14	कोयला मंत्रालय	10742.25
15	कोयला मंत्रालय	233.14
16	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	440.50
17	वाणिज्य विभाग	52.23
18	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	51.17
19	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
20	डाक विभाग	
21	दूरसंचार विभाग	
22	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
23	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
24	उपभोक्ता मामले विभाग	
25	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय	79.92
19	संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय	270.85
20-21	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1626.51
22-27	रक्षा मंत्रालय (रक्षा)	84008.29
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	15.97
29	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	5.83
30	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	290.93
31	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	162.77
32	विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय	1200.74
33	वित्त मंत्रालय	67.82
34	आर्थिक कार्य विभाग	59.91
39	वित्तीय सेवाएं विभाग व्यय विभाग	54.26
41	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	2450.14
42	राजस्व विभाग	181.37
43	प्रत्यक्ष कर-सीबीडीटी	2187.63
44	अप्रत्यक्ष कर-सीबीईसी	2894.04
45	विनिवेश विभाग	4.12

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	10.90
47	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1505.49
48	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	11.26
50	एड्स नियंत्रण विभाग	2.81
51	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	12.67
52	लोक उद्यम विभाग	5.28
53	गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय	382.27
54	मंत्रिमंडल	69.81
55	पुलिस	33018.40
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	318.42
58	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय	8.17
59	मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	14.83
60	उच्चतर शिक्षा विभाग	68.95
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय	205.79
62	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	350.18
63	विधि और न्याय मंत्रालय निर्वाचन आयोग	20.37
64	विधि और न्याय	99.15

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
65	भारत का उच्चतम न्यायालय	103.10
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	109.69
67	खान मंत्रालय खान मंत्रालय	501.40
68	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	10.66
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	19.83
70	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	7.73
71	पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय	5.91
72	संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय	7.80
73	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	496.11
74	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	16.76
75	योजना मंत्रालय योजना मंत्रालय	86.37
76	विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय	79.92
77	राष्ट्रपति, ससद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	21.05
78	राष्ट्रपति सचिवालय लोकसभा	251.82

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
79	राज्यसभा	132.09
80	संघ लोक सेवा आयोग	74.83
81	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	2.06
82	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	364.97
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
83	ग्रामीण विकास मंत्रालय	26.48
	ग्रामीण विकास विभाग	
84	भू-संसाधन विभाग	6.72
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
85	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	307.89
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	7.48
87	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	13.89
	पोत परिवहन मंत्रालय	
88	पोत परिवहन मंत्रालय	95.03
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	32.99
	अंतरिक्ष विभाग	
90	अंतरिक्ष विभाग	1168.81
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	263.47
	इस्पात मंत्रालय	
92	इस्पात मंत्रालय	15.00
	वस्त्र मंत्रालय	
93	वस्त्र मंत्रालय	164.51
	पर्यटन मंत्रालय	
94	पर्यटन मंत्रालय	33.52
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
95	जनजातीय कार्य मंत्रालय	12.77

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय / विभाग का नाम	राशि
96	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमण्डल वाले)	1081.42
97	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1202.50
98	चंडीगढ़	126.58
99	दादरा एवं नागर हवेली	106.35
100	दमन एवं दीव	103.44
	लक्षद्वीप	
	शहरी विकास मंत्रालय	
101	शहरी विकास विभाग	255.73
102	लोक निर्माण कार्य	911.51
103	लेखन सामग्री और पुद्रण	172.07
	जल संसाधन मंत्रालय	
104	जल संसाधन मंत्रालय	426.86
	महिला और बाल विकास मंत्रालय	
105	महिला और बाल विकास मंत्रालय	27.25
	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
106	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	17.25
	कुल	155318.39

परिशिष्ट-6

आर्थिक सहायताओं का विवरण 2013-14

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
खाद्य	17	2408	90000.00	92000.00	92000.00
देशी (यूरिया) उर्वरक	7	2852	21000.00	26500.00	26500.00
#आयातित (यूरिया) उर्वरक	7	2401	15544.64	12044.64	11538.25
किसानों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	7	2401	29426.86	29426.86	29426.86
पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता	74	2802	65000.00	85480.00	85378.16
कुल मुख्य आर्थिक सहायता			220971.50	245451.50	244843.27
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता					
हिन्दुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों के लिए ब्याज सहायता-	92	2852	44.11	44.11	44.05
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग-	66				
1. खादी उद्योगों के लिए		2851	21.25	21.25	20.70
2. अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए		2851	5.36	5.36	5.36
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	34	2235	134.23	115.81	115.81
किसानों को अल्पवधि उधार प्रदान करने के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	34	2416	6000.00	6000.00	6000.00
निर्यात संवर्धन के अंतर्गत बैंकों को ब्याज संबंधी सहायता	11	3453	1200.00	1475.00	1475.00
भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता	33	3475	416.50	416.50	407.66
सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के माध्यम से ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	17	2408	30.50	9.60	9.60

लेखे एक नज़र में

जारी.....

(₹ करोड़)

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास कर्ज के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान	34	2885	200.00	80.00	80.00
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को ब्याज सहायता	20	2852	9.39	7.22	5.07
कुल ब्याज आर्थिक सहायता अन्य आर्थिक सहायता			8061.34	8174.85	8119.20
एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन	1	2401	84.50	46.00	45.99
हज चार्टों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	9	3053	589.50	690.76	680.03
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता	17	2408	5.00	7.50	7.50
शिपयार्डों को आर्थिक सहायता-					
गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड	89	2852	300.00	282.23	179.40
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	56	3053	76.45	35.00	37.94
बाजार प्रचालन के लिए भारतीय पटसन निगम को आर्थिक सहायता	93	2852	55.00	61.59	65.90
समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	93	2852	200.00	152.32	152.31
चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम-2007	17	2408	116.12	90.00	90.00

श्रेणी	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयतित उर्वरकों की देखरेख में कमी की प्रतिपूर्ति	17	2408	50.73	42.75	42.75
खाद्य तेलों के आयात के लिए आर्थिक सहायता	17	2408	318.34	318.34	318.34
राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र को सहायता	89	2852	5.00	5.00	4.14
दलहन के आयात पर आर्थिक सहायता	16	2408	250.00	158.39	158.18
कुल - अन्य आर्थिक सहायताएं			2050.68	1889.90	1782.48

(₹ करोड़)

परिशिष्ट-7

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2013-14
(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि और सहकारिता राजस्व पूंजीगत	11911.00	10163.48	306.82	231.96	12217.82	10395.44
		11859.65	10180.10	306.18	231.68	12165.83	10349.78
		51.35	45.38	0.64	0.28	51.99	45.66
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा राजस्व पूंजीगत	2600.00	2450.80	2281.08	2279.96	4881.08	4730.76
		2600.00	2450.80	2281.08	2279.96	4881.08	4730.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पशु पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन राजस्व पूंजीगत	1800.00	1748.67	82.97	77.34	1882.97	1826.01
		1786.02	1739.88	82.06	76.96	1868.08	1816.84
		13.98	8.79	0.91	0.38	14.89	9.17
4	परमाणु ऊर्जा राजस्व पूंजीगत	3500.00	3473.18	3469.00	4087.88	6969.00	7561.06
		1407.00	1405.48	2725.36	3372.34	4132.36	4777.82
		2093.00	2067.70	743.64	715.54	2836.64	2783.24
5	नाभकीय विद्युत स्कीम राजस्व पूंजीगत	600.00	581.62	667.54	477.03	1267.54	1058.65
		314.40	314.40	667.54	477.03	981.94	791.43
		285.60	267.22	0.00	0.00	285.60	267.22
6	रसायन और पेट्रो रसायन राजस्व पूंजीगत	1175.00	1157.94	66.28	50.64	1241.28	1208.58
		1166.96	1157.94	66.28	50.64	1233.24	1208.58
		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00
7	उर्वरक राजस्व पूंजीगत	9.00	2.32	68000.00	67359.29	68009.00	67361.61
		8.06	2.32	67999.96	67359.29	68008.02	67361.61
		0.94	0.00	0.04	0.00	0.98	0.00
8	औषध निर्माण राजस्व पूंजीगत	75.00	68.18	40.33	39.45	115.33	107.63
		65.78	58.96	35.30	34.45	101.08	93.41
		9.22	9.22	5.03	5.00	14.25	14.22

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	
9	नागर विमानन	6200.00	6182.98	785.36	771.61	6985.36	6954.59	
		राजस्व	140.20	128.35	785.36	771.61	925.56	899.96
		पूँजीगत	6059.80	6054.63	0.00	0.00	6059.80	6054.63
10	कोयला	550.00	522.70	47.00	45.75	597.00	568.45	
		राजस्व	550.00	522.70	47.00	45.75	597.00	568.45
		पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	वाणिज्य	2000.00	1937.20	3395.00	3306.38	5395.00	5243.58	
		राजस्व	1041.90	987.56	3395.00	3306.38	4436.90	4293.94
		पूँजीगत	958.10	949.64	0.00	0.00	958.10	949.64
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन	1143.81	1109.49	211.96	211.39	1355.77	1320.88	
		राजस्व	1134.80	1100.49	211.96	211.39	1346.76	1311.88
		पूँजीगत	9.01	9.00	0.00	0.00	9.01	9.00
13	डाक	430.00	393.80	5884.09	5348.27	6314.09	5742.07	
		राजस्व	139.32	133.82	5880.09	5339.28	6019.41	5473.10
		पूँजीगत	290.68	259.98	4.00	8.99	294.68	268.97
14	दूरसंचार	3650.00	2632.16	6341.10	6039.67	9991.10	8671.83	
		राजस्व	3288.03	2415.63	6341.10	6039.67	9629.13	8455.30
		पूँजीगत	361.97	216.53	0.00	0.00	361.97	216.53
15	सूचना प्रौद्योगिकी	1869.00	1853.03	51.60	48.38	1920.60	1901.41	
		राजस्व	1727.51	1709.72	51.60	48.38	1779.11	1758.10
		पूँजीगत	141.49	143.31	0.00	0.00	141.49	143.31
16	उपभोक्ता मामले	192.00	180.09	220.86	220.75	412.86	400.84	
		राजस्व	181.46	170.82	220.86	220.75	402.32	391.57
		पूँजीगत	10.54	9.27	0.00	0.00	10.54	9.27

जारी.....

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण राजस्व पूँजीगत	200.00	191.42	92727.00	92724.99	92927.00	92916.41
		196.47	187.93	92727.00	92724.99	92923.47	92912.92
		3.53	3.49	0.00	0.00	3.53	3.49
18	कारपोरेट कार्य राजस्व पूँजीगत	21.00	20.38	212.36	208.83	233.36	229.21
		18.23	18.23	195.02	191.90	213.25	210.13
		2.77	2.15	17.34	16.93	20.11	19.08
19	संस्कृति राजस्व पूँजीगत	1470.00	1378.34	624.80	610.96	2094.80	1989.30
		1434.00	1346.50	624.80	610.96	2058.80	1957.46
		36.00	31.84	0.00	0.00	36.00	31.84
20	रक्षा राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	4303.89	5134.41	4303.89	5134.41
		0.00	0.00	3188.87	4038.02	3188.87	4038.02
		0.00	0.00	1115.02	1096.39	1115.02	1096.39
21	रक्षा पेंशन राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	45500.00	45499.54	45500.00	45499.54
		0.00	0.00	45500.00	45499.54	45500.00	45499.54
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	रक्षा सेवाएं - सेना राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	86282.64	85785.82	86282.64	85785.82
		0.00	0.00	86282.64	85785.82	86282.64	85785.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	रक्षा सेवाएं - नौसेना राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	13163.94	13034.37	13163.94	13034.37
		0.00	0.00	13163.94	13034.37	13163.94	13034.37
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	रक्षा सेवाएं - वायु सेना राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	19283.27	19093.71	19283.27	19093.71
		0.00	0.00	19283.27	19093.71	19283.27	19093.71
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
25	रक्षा - आयुद्ध निर्माण राजस्व पूजीगत	0.00	0.00	397.47	833.05	397.47	833.05
		0.00	0.00	397.47	833.05	397.47	833.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास राजस्व पूजीगत	0.00	0.00	5672.57	5627.36	5672.57	5627.36
		0.00	0.00	5672.57	5627.36	5672.57	5627.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	रक्षा सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय राजस्व पूजीगत	0.00	0.00	78872.23	79125.05	78872.23	79125.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		96.00	94.95	4.00	4.00	100.00	98.95
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राजस्व पूजीगत	215.00	219.43	24.00	23.77	239.00	243.20
		93.00	93.46	20.97	20.77	113.97	114.23
		122.00	125.97	3.03	3.00	125.03	128.97
29	पेयजल और सफाई राजस्व पूजीगत	12000.00	11934.83	6.24	6.20	12006.24	11941.03
		12000.00	11934.83	6.24	6.20	12006.24	11941.03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	पृथ्वी विज्ञान राजस्व पूजीगत	925.00	876.01	383.00	367.29	1308.00	1243.30
		814.50	785.91	382.92	367.24	1197.42	1153.15
		110.50	90.10	0.08	0.05	110.58	90.15
31	पर्यावरण और वन राजस्व पूजीगत	1850.00	1808.55	190.00	81.14	2040.00	1889.69
		1810.87	1771.89	183.55	58.74	1994.42	1830.63
		39.13	36.66	6.45	22.40	45.58	59.06

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
32	विदेश मंत्रालय	2800.00	2749.99	8993.65	9044.95	11793.65	11794.94
	राजस्व	1331.50	1281.50	8565.65	8618.34	9897.15	9899.84
	पूंजीगत	1468.50	1468.49	428.00	426.61	1896.50	1895.10
33	आर्थिक कार्य	5630.45	5402.45	5739.25	5529.34	11369.70	10931.79
	राजस्व	3952.45	3952.45	5234.33	5047.59	9186.78	9000.04
	पूंजीगत	1678.00	1450.00	504.92	481.75	2182.92	1931.75
34	वित्तीय सेवाएं	18188.00	17666.96	9691.70	9309.14	27879.70	26976.10
	राजस्व	1300.00	784.18	9691.48	9308.92	10991.48	10093.10
	पूंजीगत	14652.00	14652.00	1.00	0.66	14653.00	14652.66
35	वित्त - ब्याज अदायगियां	0.00	0.00	380066.32	374253.61	380066.32	374253.61
	राजस्व	0.00	0.00	380066.32	374253.61	380066.32	374253.61
	पूंजीगत	0.00	0.00	-165.00	-165.00	-165.00	-165.00
36	वित्त - राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण	0.00	0.00	55614.72	54229.55	55614.72	54229.55
	राजस्व	0.00	0.00	55614.72	54229.55	55614.72	54229.55
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	वित्त - सरकारी कर्मचारियों को कर्ज, आदि	0.00	0.00	-175.00	-151.50	-175.00	-151.50
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजीगत	0.00	0.00	-175.00	-151.50	-175.00	-151.50
38	वित्त - ऋण की पुनर्दायगी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
39	व्यय राजस्व पूँजीगत	3.00	3.00	130.00	121.63	133.00	124.63
		3.00	3.00	130.00	121.63	133.00	124.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	पेंशन राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	21815.00	22790.26	21815.00	22790.26
		0.00	0.00	21815.00	22790.26	21815.00	22790.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	2757.34	2738.51	2757.34	2738.51
		0.00	0.00	2748.34	2731.56	2748.34	2731.56
		0.00	0.00	9.00	6.95	9.00	6.95
42	राजस्व राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	2345.14	2206.72	2345.14	2206.72
		0.00	0.00	2331.63	2193.71	2331.63	2193.71
		0.00	0.00	13.51	13.01	13.51	13.01
43	प्रत्यक्ष कर - सीबीडीटी राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	4177.54	4064.89	4177.54	4064.89
		0.00	0.00	3654.54	3633.58	3654.54	3633.58
		0.00	0.00	523.00	431.31	523.00	431.31
44	अप्रत्यक्ष कर - सीबीडीटी राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	3943.56	3753.21	3943.56	3753.21
		0.00	0.00	3860.78	3730.91	3860.78	3730.91
		0.00	0.00	82.78	22.30	82.78	22.30
45	विनिवेश राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	30.00	26.90	30.00	26.90
		0.00	0.00	30.00	26.90	30.00	26.90
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
46	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राजस्व पूंजीगत	550.00	527.24	14.32	13.96	564.32	541.20
		550.00	527.24	14.32	13.96	564.32	541.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राजस्व पूंजीगत	23165.00	22476.59	4366.00	4668.70	27531.00	27145.29
		21605.58	21199.45	4366.00	4668.70	25971.58	25868.15
		1559.42	1277.14	0.00	0.00	1559.42	1277.14
48	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) राजस्व पूंजीगत	750.00	553.51	185.75	88.90	935.75	642.41
		731.60	537.80	185.75	88.90	917.35	626.70
		18.40	15.71	0.00	0.00	18.40	15.71
49	स्वास्थ्य अनुसंधान राजस्व पूंजीगत	575.00	569.62	305.56	304.46	880.56	874.08
		575.00	569.62	305.56	304.46	880.56	874.08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	एड्स नियंत्रण राजस्व पूंजीगत	1500.00	1473.15	0.00	0.00	1500.00	1473.15
		1487.36	1472.97	0.00	0.00	1487.36	1472.97
		12.64	0.18	0.00	0.00	12.64	0.18
51	भारी उद्योग राजस्व पूंजीगत	504.92	498.28	750.00	587.19	1254.92	1085.47
		8.90	49.32	212.51	207.07	221.41	256.39
		496.02	448.96	537.49	380.12	1033.51	829.08

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
52	सार्वजनिक उद्यम राजस्व पूँजीगत	8.25	6.42	9.10	8.63	17.35	15.05
		8.25	6.42	9.10	8.63	17.35	15.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	गृह राजस्व पूँजीगत	627.00	536.91	725.00	730.77	1352.00	1267.68
		624.50	534.42	698.39	684.88	1322.89	1219.30
		2.50	2.49	26.61	45.89	29.11	48.38
54	गृह - मंत्रिमंडल राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	375.00	370.04	375.00	370.04
		0.00	0.00	375.00	370.04	375.00	370.04
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	गृह - पुलिस राजस्व पूँजीगत	6161.00	5970.13	45200.20	43883.75	51361.20	49853.88
		1493.67	1478.45	43145.60	42025.76	44639.27	43504.21
		4667.33	4491.68	2054.60	1857.99	6721.93	6349.67
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय राजस्व पूँजीगत	335.00	289.29	1600.00	1591.02	1935.00	1880.31
		324.00	282.34	1557.14	1558.03	1881.14	1840.37
		11.00	6.95	42.86	32.99	53.86	39.94
57	गृह - संघ राज्य क्षेत्र को अंतरण राजस्व पूँजीगत	0.00	-360.67	0.00	0.00	0.00	-360.67
		0.00	-360.67	0.00	0.00	0.00	-360.67
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	आवास और शहरी गरीबी निवारण राजस्व पूँजीगत	1200.00	1077.03	7.72	7.44	1207.72	1084.47
		1200.00	1077.03	7.72	7.44	1207.72	1084.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
59	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता राजस्व पूँजीगत	47159.00	43684.41	2977.30	3171.93	50136.30	46856.34
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	उच्चतर शिक्षा राजस्व पूँजीगत	14698.00	13920.47	9787.00	10282.34	24485.00	24202.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	सूचना और प्रसारण राजस्व पूँजीगत	740.00	715.22	2115.03	2112.25	2855.03	2827.47
		709.50	693.77	2115.03	2112.25	2824.53	2806.02
62	श्रम और रोजगार राजस्व पूँजीगत	30.50	21.45	0.00	0.00	30.50	21.45
		1700.00	1594.00	2607.00	2638.77	4307.00	4232.77
63	निर्वाचन आयोग राजस्व पूँजीगत	1691.05	1586.90	2606.13	2636.24	4297.18	4223.14
		8.95	7.10	0.87	2.53	9.82	9.63
64	विधि और न्याय राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	65.62	65.46	65.62	65.46
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	भारत का उच्चतम न्यायालय राजस्व पूँजीगत	982.93	935.68	990.22	918.77	1973.15	1854.45
		0.00	0.00	2.02	1.06	2.02	1.06
65	भारत का उच्चतम न्यायालय राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	135.84	133.89	135.84	133.89
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
66	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व पूंजीगत	2600.00	2251.25	352.89	353.99	2952.89	2605.24
		2522.00	2176.10	352.09	353.72	2874.09	2529.82
		78.00	75.15	0.80	0.27	78.80	75.42
67	खान राजस्व पूंजीगत	541.14	530.69	496.26	506.08	1037.40	1036.77
		191.97	185.73	496.26	506.08	688.23	691.81
		349.17	344.96	0.00	0.00	349.17	344.96
68	अल्पसंख्यक मामले राजस्व पूंजीगत	3111.00	3007.49	19.84	19.21	3130.84	3026.70
		3071.40	3007.49	19.84	19.21	3091.24	3026.70
		39.60	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00
69	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राजस्व पूंजीगत	424.52	382.23	13.44	12.96	437.96	395.19
		325.02	282.89	13.44	12.96	338.46	295.85
		99.50	99.34	0.00	0.00	99.50	99.34
70	प्रवासी भारतीय कार्य राजस्व पूंजीगत	0.00	0.00	97.88	84.80	97.88	84.80
		0.00	0.00	77.88	64.80	77.88	64.80
		0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
71	पंचायती राज राजस्व पूंजीगत	700.00	466.55	0.63	0.63	700.63	467.18
		700.00	466.55	0.63	0.63	700.63	467.18
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	संसदीय कार्य राजस्व पूंजीगत	0.00	0.00	13.00	11.36	13.00	11.36
		0.00	0.00	13.00	11.36	13.00	11.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
73	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राजस्व पूँजीगत	209.00	200.89	750.43	746.00	959.43	946.89
		141.70	139.75	745.22	740.90	886.92	880.65
		67.30	61.14	5.21	5.10	72.51	66.24
74	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राजस्व पूँजीगत	15.00	0.00	85551.13	85418.39	85566.13	85418.39
		15.00	0.00	85551.13	85418.39	85566.13	85418.39
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	योजना राजस्व पूँजीगत	1700.00	1654.03	82.52	79.29	1782.52	1733.32
		1343.50	1303.26	82.52	79.29	1426.02	1382.55
		356.50	350.77	0.00	0.00	356.50	350.77
76	विद्युत राजस्व पूँजीगत	5000.00	4522.09	410.86	404.93	5410.86	4927.02
		3539.42	3046.51	410.86	404.93	3950.28	3451.44
		1460.58	1475.58	0.00	0.00	1460.58	1475.58
77	राष्ट्रपति का सचिवालय राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	1038.33	38.71	1038.33	38.71
		0.00	0.00	1038.33	38.71	1038.33	38.71
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	लोकसभा राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	496.57	0.00	496.57
		0.00	0.00	0.00	496.57	0.00	496.57
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	राज्य सभा राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	298.19	0.00	298.19
		0.00	0.00	0.00	298.19	0.00	298.19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
80	संघ लोक सेवा आयोग राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	166.63	0.00	166.63
		0.00	0.00	0.00	166.63	0.00	166.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	सचिवालय - उप राष्ट्रपति राजस्व पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	3.55
		0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	3.55
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	सड़क परिवहन और राजमार्ग राजस्व पूँजीगत	22478.50	21079.14	4888.62	4754.28	27367.12	25833.42
		7710.22	8041.04	3089.35	2901.73	10799.57	10942.77
		14768.28	13038.10	1799.27	1852.55	16567.55	14890.65
83	ग्रामीण विकास राजस्व पूँजीगत	59310.00	58623.08	45.65	43.20	59355.65	58666.28
		59310.00	58623.08	45.65	43.20	59355.65	58666.28
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	भू-संसाधन राजस्व पूँजीगत	2500.00	2487.73	8.28	8.21	2508.28	2495.94
		2500.00	2487.73	8.28	8.21	2508.28	2495.94
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	विज्ञान और प्रौद्योगिकी राजस्व पूँजीगत	2225.00	2221.22	380.00	379.62	2605.00	2600.84
		2212.11	2208.49	378.12	377.99	2590.23	2586.48
		12.89	12.73	1.88	1.63	14.77	14.36
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राजस्व पूँजीगत	1620.00	1602.82	1558.00	1556.72	3178.00	3159.54
		1612.00	1594.82	1558.00	1556.72	3170.00	3151.54
		8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
87	जैव प्रौद्योगिकी राजस्व पूँजीगत	1300.00	1275.71	15.64	15.61	1315.64	1291.32
		1300.00	1275.71	15.64	15.61	1315.64	1291.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	पोत परिवहन राजस्व पूँजीगत	530.00	491.03	1215.03	1043.24	1745.03	1534.27
		154.48	136.75	1307.16	1130.50	1461.64	1267.25
		375.52	354.28	-92.13	-87.26	283.39	267.02
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राजस्व पूँजीगत	5625.00	5417.69	98.35	97.79	5723.35	5515.48
		5320.00	5115.14	98.35	97.79	5418.35	5212.93
		305.00	302.55	0.00	0.00	305.00	302.55
90	अंतरिक्ष राजस्व पूँजीगत	4000.00	3997.94	1172.00	1171.02	5172.00	5168.96
		1546.36	1556.88	1172.00	1171.02	2718.36	2727.90
		2453.64	2441.06	0.00	0.00	2453.64	2441.06
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राजस्व पूँजीगत	595.00	497.95	407.68	408.01	1002.68	905.96
		586.65	494.35	407.68	408.01	994.33	902.36
		8.35	3.60	0.00	0.00	8.35	3.60
92	इस्पात राजस्व पूँजीगत	8.00	8.00	65.28	64.84	73.28	72.84
		8.00	8.00	65.28	64.84	73.28	72.84
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	वस्त्र राजस्व पूँजीगत	3900.00	3130.94	798.80	784.58	4698.80	3915.52
		3892.35	3123.31	798.28	764.42	4690.63	3887.73
		7.65	7.63	0.52	20.16	8.17	27.79

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
94	पर्यटन राजस्व पूंजीगत	980.00	815.04	70.31	71.40	1050.31	886.44
		977.99	813.04	70.31	71.40	1048.30	884.44
		2.01	2.00	0.00	0.00	2.01	2.00
95	जनजातीय कार्य राजस्व पूंजीगत	1731.86	1673.74	17.05	17.68	1748.91	1691.42
		1661.86	1613.86	17.05	17.68	1678.91	1631.54
		70.00	59.88	0.00	0.00	70.00	59.88
101	शहरी विकास राजस्व पूंजीगत	6732.50	6277.94	2815.70	1019.06	9548.20	7297.00
		471.42	375.42	2139.29	791.39	2610.71	1166.81
		6261.08	5902.52	676.41	227.67	6937.49	6130.19
102	शहरी विकास - लोक निर्माण कार्य राजस्व पूंजीगत	0.00	158.65	0.00	1839.26	0.00	1997.91
		0.00	19.85	0.00	1405.58	0.00	1425.43
		0.00	138.80	0.00	433.68	0.00	572.48
103	शहरी विकास राजस्व पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	68.78	0.00	68.78
		0.00	0.00	0.00	68.69	0.00	68.69
		0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
104	जल संसाधन राजस्व पूंजीगत	700.00	530.74	541.00	526.68	1241.00	1057.42
		566.30	431.69	539.20	539.25	1105.50	970.94
		133.70	99.05	1.80	-12.57	135.50	86.48
105	महिला एवं बाल विकास राजस्व पूंजीगत	18200.00	17911.64	85.65	87.46	18285.65	17999.10
		18200.00	17911.64	85.65	87.46	18285.65	17999.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
106	युवा मामले और खेल राजस्व पूँजीगत	1093.00	1012.47	114.76	110.13	1207.76	1122.60
		1092.10	1011.60	114.76	110.13	1206.86	1121.73
		0.90	0.87	0.00	0.00	0.90	0.87
I	रेलवे राजस्व पूँजीगत (शीर्ष 5002 और 5003)	27000.00	27072.40	0.00	0.00	27000.00	27072.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27000.00	27072.40	0.00	0.00	27000.00	27072.40
I	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग कुल राजस्व पूँजीगत	356492.88	340478.77	1109965.29	1100956.58	1466458.17	1441435.35
		265186.30	252224.55	1022732.24	1013950.02	1287918.54	1266174.29
		91306.58	88254.22	87233.05	87006.56	178539.63	175260.78
II	राज्य योजनाएं (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सहित) कुल राजस्व पूँजीगत	113572.11	107600.75	0.00	0.00	113572.11	107600.75
		102544.91	96579.29	0.00	0.00	102544.91	95579.29
		11027.20	11021.46	0.00	0.00	11027.20	11021.46
I	राज्य योजनाएं राजस्व पूँजीगत कृषि और सहकारिता राजस्व पूँजीगत	111981.11	106036.54	0.00	0.00	111981.11	106036.54
		100981.11	95036.79	0.00	0.00	100981.11	95036.79
		11000.00	10999.75	0.00	0.00	11000.00	10999.75
I	कृषि और सहकारिता राजस्व पूँजीगत	7089.00	8527.13	0.00	0.00	7089.00	8527.13
		7089.00	8527.13	0.00	0.00	7089.00	8527.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
36	वित्त - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण राजस्व पूंजीगत	93422.97	85558.52	0.00	0.00	93422.97	85558.52
		82422.97	74558.77	0.00	0.00	82422.97	74558.77
		11000.00	10999.75	0.00	0.00	11000.00	10999.75
58	आवास और शहरी गरीबी निवारण राजस्व पूंजीगत	-	-0.45	-	0.00	-	-0.45
		-	-0.45	-	0.00	-	0.00
		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
60	उच्चतर शिक्षा राजस्व पूंजीगत	-	262.36	-	0.00	-	262.36
		-	262.36	-	0.00	-	262.36
		-	0.00	-	0.00	-	0.00
64	विधि और न्याय राजस्व पूंजीगत	-	5.00	-	0.00	-	5.00
		-	5.00	-	0.00	-	5.00
		-	0.00	-	0.00	-	0.00
71	पंचायती राज राजस्व पूंजीगत	2800.00	2994.91	0.00	0.00	2800.00	2994.91
		2800.00	2994.91	0.00	0.00	2800.00	2994.91
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	सड़क परिवहन और राजमार्ग राजस्व पूंजीगत	2567.00	2566.99	0.00	0.00	2567.00	2566.99
		2567.00	2566.99	0.00	0.00	2567.00	2566.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राजस्व पूंजीगत	3955.00	3937.00	0.00	0.00	3955.00	3937.00
		3955.00	3937.00	0.00	0.00	3955.00	3937.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
95	जनजातीय मामले	2147.14	2147.14	0.00	0.00	2147.14	2147.14
	राजस्व	2147.14	2147.14	0.00	0.00	2147.14	2147.14
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	शहरी विकास	-	0.27	-	0.00	-	0.27
	राजस्व	-	0.27	-	0.00	-	0.27
	पूँजीगत	-	0.00	-	0.00	-	0.00
105	महिला एवं बाल विकास	-	38.21	-	0.00	-	38.21
	राजस्व	-	38.21	-	0.00	-	38.21
	पूँजीगत	-	0.00	-	0.00	-	0.00
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	1591.00	1564.21	0.00	0.00	1591.00	1564.21
	राजस्व	1563.80	1542.50	0.00	0.00	1563.80	1542.50
	पूँजीगत	27.20	21.71	0.00	0.00	27.20	21.71
	उत्तर पूर्व क्षेत्र	741.00	714.21	0.00	0.00	741.00	714.21
	राजस्व	713.80	692.50	0.00	0.00	713.80	692.50
	पूँजीगत	27.20	21.71	0.00	0.00	27.20	21.71
	उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00
	राजस्व	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
III	संघ राज्य क्षेत्र	5466.82	5247.83	4937.03	5162.84	10403.85	10410.67
	राजस्व	4119.94	3928.38	4956.37	5089.45	9076.31	9017.83
	पूँजीगत	1346.88	1319.45	-19.34	73.39	1327.54	1392.84
क	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1695.61	1588.39	586.00	585.00	2281.61	2173.39
	राजस्व	1695.61	1578.43	514.00	513.00	2209.61	2091.43
	पूँजीगत	0.00	9.96	72.00	72.00	72.00	81.96
57	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1030.91	918.65	1.00	0.00	1031.91	918.65
	राजस्व	1030.91	918.65	1.00	0.00	1031.91	918.65
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	पुदुचेरी	664.70	669.74	585.00	585.00	1249.70	1254.74
	राजस्व	664.70	663.71	513.00	513.00	1177.70	1172.78
	पूँजीगत	0.00	9.96	72.00	72.00	72.00	81.96
ख	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	3771.21	3659.44	4351.03	4577.84	8122.24	8237.28
	राजस्व	2424.33	2349.95	4442.37	4576.45	6866.70	6926.40
	पूँजीगत	1346.88	1309.49	-91.34	1.39	1255.54	1310.88
96	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1601.83	1583.99	1464.82	1492.49	3066.65	3076.48
	राजस्व	1221.74	1210.68	1452.16	1476.34	2673.90	2687.02
	पूँजीगत	380.09	373.31	12.66	16.15	392.75	389.46
97	चंडीगढ़	604.95	592.27	2182.27	2270.35	2787.22	2862.62
	राजस्व	348.19	339.37	2286.75	2288.07	2634.94	2627.44
	पूँजीगत	256.76	252.90	-104.48	-17.72	152.28	235.18
98	दादरा और नगर हवेली	620.05	617.70	114.35	115.58	734.40	733.28
	राजस्व	424.72	422.34	112.04	113.27	536.76	535.61
	पूँजीगत	195.33	195.36	2.31	2.31	197.64	197.67

जारी.....

(₹ करोड़)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
99	दमन और दीव	507.04	505.26	123.40	123.35	630.44	628.61
	राजस्व	233.43	231.66	122.73	122.68	356.16	354.34
	पूंजीगत	273.61	273.60	0.67	0.67	274.28	274.27
100	लक्षद्वीप	437.34	360.22	466.19	576.07	903.53	936.29
	राजस्व	196.25	145.90	468.69	576.09	664.94	721.99
	पूंजीगत	241.09	214.32	-2.50	-0.02	238.59	214.30
IV- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल केन्द्रीय सहायता (II + III)							
	राजस्व	119038.93	112848.58	4937.03	5162.84	123975.96	118011.42
	पूंजीगत	106664.85	100507.67	4956.37	5089.45	111621.22	105597.12
		12374.08	12340.91	-19.34	73.39	12354.74	12414.30
	कुल योग	475531.81	453327.35	1114902.32	1106119.42	1590434.13	1559446.77
	राजस्व	371851.15	352732.22	1027688.61	1019039.47	1399539.76	1371771.69
	पूंजीगत	103680.66	100595.13	87213.71	87079.95	190894.37	187675.08

परिशिष्ट-8

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

वर्ष	(₹ करोड़)
31.3.2014 तक परिपक्व होने वाले	105025.93
2015 में परिपक्वता	182646.83
2016 में परिपक्वता	187129.85
2017 में परिपक्वता	303886.80
2018 में परिपक्वता	185234.68
2019 में परिपक्वता	171000.00
2020 में परिपक्वता	290000.00
2021 में परिपक्वता	226213.32
2022 में परिपक्वता	317097.02
2023 में परिपक्वता	58582.58
2024 में परिपक्वता	179000.00
2025 में परिपक्वता	90000.00
2026 में परिपक्वता	105000.00
2027 में परिपक्वता	225068.12
2028 में परिपक्वता	26000.00
2030 में परिपक्वता	107000.00
2032 में परिपक्वता	213643.64
2034 में परिपक्वता	60000.00
2035 में परिपक्वता	52350.00
2036 में परिपक्वता	86000.00
2039 में परिपक्वता	13000.00
2040 में परिपक्वता	72000.00
2041 में परिपक्वता	90000.00
2042 में परिपक्वता	56000.00
2043 में परिपक्वता	39472.28
कुल	3441351.05

लेखे एक नज़र में

परिशिष्ट-9

वर्ष 2013-14 के लिए ₹100 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			₹ करोड़					
1	001	कृषि और सहकारिता विभाग स्वीकृत	22299.40		18981.92		3317.48	
2	002	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	5729.20		4879.94		849.26	
3	003	पशुपालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग स्वीकृत	2534.50		2140.01		394.49	
4	004	परमाणु ऊर्जा स्वीकृत	6636.39	4111.36	6438.69	2930.81	197.70	1180.55
5	005	नाभिकीय विद्युत स्कीमें स्वीकृत	4054.87		3765.68		289.19	
6	006	रसायन और पेट्रोसायन विभाग स्वीकृत	1332.98		1208.73		124.25	
7	007	उर्वरक विभाग स्वीकृत	72629.72	253.48	71303.05		1326.67	253.48
8	010	कोयला मंत्रालय स्वीकृत		1722.00		761.00		961.00
9	011	वाणिज्य विभाग स्वीकृत	4441.85		4312.47		129.38	

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
10	012	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग स्वीकृत	1509.32	311.00	1334.05	9.00	175.27	302.00
11	014	दूरसंचार विभाग स्वीकृत	12629.14	2510.30	10619.04	216.53	2010.10	2293.77
12	015	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	2872.50		2021.78		850.72	
13	016	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	582.95		430.82		152.13	
14	019	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	2125.06		1959.91		165.15	
15	020	रक्षा मंत्रालय स्वीकृत		1838.42		1096.39		742.03
16	028	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	1847.98	353.01	1654.18	224.45	193.80	128.56
17	029	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वीकृत	15265.70		11941.03		3324.67	
18	030	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत	1492.54	201.13	1153.15	90.15	339.39	110.98
19	031	पर्यावरण और वन मंत्रालय स्वीकृत	2815.66		2099.73		715.93	

(₹ करोड़)

जारी.....

लेखे एक नज़र में

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि				व्यय		बचत	
			राजस्व		पूंजीगत		राजस्व		पूंजीगत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
20	033	आर्थिक कार्य विभाग स्वीकृत		69431.73		5968.93			63462.80	
21	034	वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत	11468.99	30900.40		10722.45		746.54	14017.40	
22	035	विनियोग-ब्याज अदायगियां प्रभारित	400500.66			395323.50		5177.16		
23	036	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण प्रभारित	62134.40	12000.00		53904.54	10999.75	8229.86	1000.25	
24	038	स्वीकृत	101945.69			84247.33		17698.36		
25	042	विनियोग-ऋण की पुनर्दायगी प्रभारित		4014248.55			3511291.32		502957.23	
26	043	राजस्व विभाग स्वीकृत	10117.20			2580.53		7536.67		
27	044	प्रत्यक्ष कर स्वीकृत	3771.91	590.00		3635.28	446.00	136.63	144.00	
28	046	अप्रत्यक्ष कर स्वीकृत	3860.78	149.26		3731.39	22.31	129.39	126.95	
29	047	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत	719.14			541.94		177.20		
		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत	33012.35	2862.69		27538.13	1277.14	5474.22	1585.55	

(₹ करोड़)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
30	048	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग स्वीकृत	1249.62		715.85		533.77	
31	049	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वीकृत	1008.02		874.08		133.94	
32	050	एड्स नियंत्रण विभाग स्वीकृत	1782.01		1472.97		309.04	
33	051	भारी उद्योग विभाग स्वीकृत	930.97	987.66	548.11	829.08	382.86	158.58
34	053	गृह मंत्रालय स्वीकृत	2108.55		1231.64		876.91	
35	055	पुलिस स्वीकृत	45609.12	9106.00	44010.06	6345.16	1599.06	2760.84
36	056	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय स्वीकृत	1969.15		1840.89		128.26	
37	057	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण स्वीकृत	2263.43		1738.63		524.80	
38	058	आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय स्वीकृत	1468.06		1086.24		381.82	
39	059	विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग स्वीकृत	77130.05		66977.36		10152.69	

जारी.....

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
40	060	उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत	26950.08		24532.62		2417.46	
41	061	सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वीकृत	3006.89		2806.79		200.10	
42	062	श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत	5254.97		4405.41		849.56	
43	064	विधि और न्याय स्वीकृत	1971.17		1858.40		112.77	
44	066	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्वीकृत	3210.95		2550.69		660.26	
45	068	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत	3410.99	120.00	3026.74		384.25	120.00
46	069	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत	2648.21		1434.18		1214.03	
47	071	पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत	7200.70		3462.08		3738.62	
48	074	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत	85566.13		85418.39		147.74	
49	075	योजना मंत्रालय स्वीकृत	7181.53	900.00	1382.54	350.77	5798.99	549.23

(₹ करोड़)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
50	076	विद्युत मंत्रालय स्वीकृत	8045.87	2918.05	3736.65	1777.03	4309.22	1141.02
51	082	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत	17203.60	32264.15	16670.16	29251.12	533.44	3013.03
52	083	ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत	113304.88		97487.60		15817.28	
53	084	भू-संसाधन विभाग स्वीकृत	5772.86		2495.94		3276.92	
54	085	विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग स्वीकृत	3372.22		2595.86		776.36	
55	086	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग स्वीकृत	3561.31		3151.54		409.77	
56	087	जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	1502.07		1291.32		210.75	
57	088	पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत	1691.64	658.42	1491.04	379.15	200.60	279.27
58	089	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वीकृत	6420.37		5217.33		1203.04	
59	090	अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत	3052.21	3738.96	2727.68	2441.05	324.53	1297.91

(₹ करोड़)

जारी.....

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
60	091	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत	4949.36		4839.77		109.59	
61	093	वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत	5519.98		3924.58		1595.40	
62	094	पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत	1355.32		1024.74		330.58	
63	095	जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रभारित स्वीकृत	3856.58 443.74		3481.50 297.25		375.08 146.49	
64	096	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्वीकृत		671.82		399.63		272.19
65	97	चंडीगढ़ स्वीकृत	2922.51		2803.17		119.34	164.66
66	101	शहरी विकास विभाग स्वीकृत	1281.32		1114.73		166.59	863.04
67	104	जल संसाधन मंत्रालय स्वीकृत	1902.13		995.66		906.47	
68	105	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत	20640.02		18038.59		2601.43	

(₹ करोड़)